ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां

पठन सामग्री

unicef
for every child

अनुक्रमणिका

1 स्थायी समिति क्या है?

2 स्थायी समिति की आवश्यकता क्यों?

3 स्थायी समितियों संबंधी प्रावधान

4 ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं कार्य विषय

5 स्थायी समितियों की कार्य संचालन प्रक्रिया

6 स्थायी समितियों की वर्तमान स्थिति

7 स्थायी समितियों के सुदृढ़ीकरण में सरपंचों की जवाबदेही

1. स्थायी समिति क्या है?

- स्थायी समिति एक वैधानिक समिति होती है जिसमें पंयायत सदस्य या पंच होते हैं।
- यह एक स्थायी और नियमित समिति है जो समय–समय पर राज्य पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गठित की जाती है।
- इसका कार्य संचालन राज्य शासन द्वारा तत्संबंधी नियमों के आलोक में किया जाता है।
- अर्थात स्थायी समितियां पंचायत के प्रभावी कामकाज के लिए एक उपकरण हैं।
- समितियां प्रस्तावित नियमों एवं योजनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए मंच हैं।

2. स्थायी समिति की आवश्यकता क्यों?

- पंचायत के हितों पर छोटे समूह में अधिक खुली, गहन और बेहतर जानकारीपूर्ण चर्चा हेतु।
- विचारों के अधिक सार्थक आदान–प्रदान के लिए
- पंचायतों को विषय विशेषज्ञों की राय तथा अनुसंशा प्रदान करने के लिए।
- विकास के मुद्दों पर अधिक विस्तृत चर्चा के लिए।
- कार्यकारी प्रक्रियाओं को बारीकी से समझने के लिए।
- क्रियान्वित किये जाने वाले योजनाओं के गहन देखरेख के लिए।

3. स्थायी समितियों संबंधी प्रावधान

छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम–1993 की धारा 46 के तहत ग्राम पंचायत की स्थायी समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है जिसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार है–

1. किसी भी ग्राम पंचायत में 5 (पांच) से अधिक स्थायी समिति गठित नहीं की जा सकती
2. ये समितियां संबंधित पंचायत के नियंत्रण में होगी एवं वही कार्य करेगी जो संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें सौंपी जाय।
3. कोई भी व्यक्ति दो से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा
   (परन्तु विषय की विशेषज्ञता के आधार पर जानकार दो व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकेगा। ऐसे मनोनीत सदस्यों को समिति बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा)

4. ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं कार्य विषयः

प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने पंचों में से निम्नलिखित स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी

क. सामान्य प्रशासन समितिः– ग्राम पंचायत के प्रशासन की स्थापना और सेवाओं, निर्माण का अनुमोदन, बजट, लेखा, कराधान तथा अन्य वित्तीय विषय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और ग्राम पंचायत को समुदेशित किये गये तथा किसी अन्य समिति को आंवंटित न किये समस्त अन्य विषय

ख. निर्माण तथा विकास समितिः– ग्राम पंचायत क्षेत्र में योजना, प्रबंधन, कार्यान्वयन तथा सभी निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण, अभिन्यास की योजना, बजट का कार्यान्वयन, सभी प्रकार की स्कीम और कार्यक्रम संचार में सुधार, ग्राम कुटीर तथा खादी उद्योंगो के विकास पर विशेष जोर विशेषतः महिला तथा बच्चों के लिए उद्यान और उपवन (पार्क), भविष्य में निर्माण हेतु स्वयं की परियोजनाओं का प्रस्ताव, ग्रामीण विद्युतिकरण, वन, लोक स्वस्थ्य अभियांत्रिकी विषय शामिल होंगे।

ग. शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण तथा स्वच्छता समितिः– ग्राम पंचायत क्षेत्र में के सभी विद्यालयों का निरीक्षण, प्रत्येक मास की 5 तारीख तक पूर्ववर्ती मास के दौरान शिक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणन, आनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा तथा सहयोग प्रौढ़ शिक्षा जिसमें आई.सी.डी.एस आंगनबाड़ी बालबाड़ी तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, टीकाकरण, परिवार नियोजन कार्यक्रम सहित सभी स्कीमों को प्रोत्साहन और निरीक्षण तथा उसकी उपस्थिति का प्रमाणन, सामाजिक रूप से पिछड़े तथा समाज के विकलांग वर्गों तथा लोगों के लिए कल्याण स्कीमों का निर्माण तथा क्रियान्वयन तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में आरोग्यता तथा स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तथ उन लोंगों के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, विकास तथा विशेष कार्यक्रम खेलकूद।

घ. कृषि, राजस्व एवं वन समितिः– ग्राम पंचायत क्षेत्र में कृषि, भूमि विकास तथा संरक्षण, उन्नत बीज, उद्यानकी, डेयरी, मत्स्यपालन, लघु सिंचाई, श्रम, राजस्व, बीस सुत्री कार्यक्रम, वन, सामाजिक वानिकी, उद्यान, लघु वनोपज का विकास तथा अन्य वानिकी कार्यक्रम।

ड॰ ग्राम गौठान समितिः– ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम के पशुओं के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए गौठान का निर्माण एवं संचालन

5. स्थायी समितियों की कार्य संचालन प्रक्रिया

कार्यावधिः– स्थायी समिति के सभापति एवं सदस्यों की कार्यवधि पांच वर्ष की होगी।

आकष्मिक रिक्तिः– स्थायी समिति के सदस्यों में से किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग पत्र या अनहर्ता या उसकी पदावधि के समाप्त होने के पूर्व कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में ऐसे पद में आकष्मिक रिक्ति मानी जायगी और ऐसी रिक्ति नियम 3 (2) में वर्णित रीति में यथा संभव शीघ्रता से भरी जायगी।

स्थायी समिति के सचिवः–

- ग्राम पंचायत सचिव सामान्य प्रशासन समिति, ग्राम गौठान समिति तथा निर्माण एवं विकास समिति के पदेन सचिव होंगे।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण तथा स्वच्छता समिति का सचिव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ए.एन.एम/ ग्रामीण विकास विभाग के विस्तार अधिकारी में से कोई एक होगा।
- कृषि, राजस्व, एवं वन समिति का सचिव ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधीन ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी/ सहायक पशु चिकित्सक/ पटवारी/ वनरक्षक में से कोई एक होंगे।

इनका मनोनयन कलेक्टर द्वारा की जायगी।

बैठकः–

1. साधारणतया कामकाज के संचालन के लिए प्रत्येक स्थायी समिति की बैठक ग्राम पंचायत कार्यालय में या अन्य स्थान पर महीने में कम से कम एक बार ऐसी तारीख को तथा समय पर होगी जो ऐसी समिति के सभापति तय करें।
2. बैठक की तारीख से पूरे तीन दिन पूर्व बैठक की तारीख, समय तथा स्थान, विचारणीय विषय की सूचना प्रत्येक सदस्यों को दी जायगी एवं ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रदर्शित की जायगी।
3. स्थायी संबंधी उपनियम (1) के अधीन बैठक की तारीख इस प्रकार तय की जायगी जिससे किसी अन्य स्थायी समितियों के बीच तारीख व समय का टकराव न हो।

गणपूर्ति/कोरमः–

1. स्थायी समितियों की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों का आधा (50:) होगा
2. यदि किसी बैठक में गणपूर्ति के आभाव में नहीं हो पाता है तो समिति अध्यक्ष बैठक को ऐसी तारीख और समय के लिए स्थगित कर सकेगा जो उसके द्वारा नीयत किया जाय इस प्रकार के नीयत किये गये बैठक की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय में चिपकायी जायगी
3. इस प्रकार के बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसी बैठक में कोई नया विषय विचार के लिए नहीं लाया जायगा।

निर्णयः– स्थायी समिति के किसी बैठक में निर्णय उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर किया जायगा। मतों के बराबर–बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

कतिपय मामलों पर निर्णय प्रक्रियाः–

1. स्थायी समिति मुख्यतः उनको सौंपे गये विषय पर ही निर्णय करेगी। यदि मामले में वित्तीय व्यय सम्मिलित है तो वैसे मामलों को अपनी सिफारिशों के साथ आगे और विचारार्थ ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट करेगी।
2. जहां कोई मामला एक से अधिक स्थायी समिति से संबंधित हो वहां वह निर्णय के लिए ग्राम पंचायत के समक्ष रखी जायगी।

ग्राम पंचायत का नियम लागू होनाः–ग्राम पंचायत के साधारण बैठकों के कामकाज का नियम यथा संभव स्थायी समितियों पर भी लागू होंगे

कार्यवृत्त / प्रोसिडिंग

1. बैठक की कार्यवाही समिति के कार्यवाही पुस्तिका में लिखी जायगी
2. बैठक समाप्ति के तुरत बाद अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही पर हस्ताक्षर किये जायेंगे
3. कार्यवाही पुस्तक स्थायी समिति के विचार के लिए अगली बैठक में रखी जायगी तब तक कि इसी बीच ग्राम पंचायत की बैठक में उसकी पुष्टि न कर दी जाय।

ग्राम पंचायत का नियंत्रणः–

1. स्थायी समिमि की कार्यवाहियां स्थायी समिति के बैठक के पश्चात किये गये अगले बैठक में ग्राम पंचायत के समक्ष रखी जायगी
2. ग्राम पंचायत ऐसे बैठक में स्थायी समिति के निर्णय की पुष्टि कर सकेगी या ऐसा कर सकेगी जैसा कि वह आवश्यक समझे।

6. स्थायी समितियों की वर्तमान स्थितिः

विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट हुआ है कि ज्यादातर ग्राम पंचायत स्तर पर स्थायी समितियों का गठन नहीं हो पाया है। अगर गठन हुआ भी है तो उनकी नियमानुसार बैठकें नहीं होती है। अध्ययन से प्राप्त नतीजों को आपके समक्ष रख रहे हैंः

- जानकारी का आभाव
- समिति सदस्यों के बीच पारदर्शिता का आभाव
- पंचायत द्वारा नियम का पालन न होना
- ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव द्वारा सूचना न दिया जाना
- सदस्यों में शिक्षा का आभाव
- सभापति द्वारा समिति सदस्यों की बातों को न सुनना
- समिति सदस्यों द्वारा अपनी जिम्मेदारी को न समझना
- बैठक का समय निर्धारण सही तरह से नहीं किया जाता
- ग्राम पंचायत और स्थायी समिति के बीच तालमेल की कमी
- ग्राम पंचायत द्वारा समिति के अनुशंसाओं और निर्णय को न मानना

7. स्थायी समितियों के सुदृढ़ीकरण में सरपंचों की जवाबदेही

ग्राम पंचायत की स्थयी समितियां एक वैधानिक इकाई है। पंचायत प्रमुख होने के नाते सुनिश्चित करें किः

- आपके पंचायत में सभी स्थायी समितियों का गठन नियमानुसार कर लिया गया हो।
- समिति के सदस्यों को पता हो कि वो किस समिति के सभापति / सदस्य हैं।
- समिति सदस्यों को समिति विशेष के कार्य विषय, नियम एवं कार्य प्रक्रिया के बारे में पूर्ण जानकारी हो।
- पंचायत में सभी स्थायी समितियों की नियमित मासिक बैठक हो।
- समितियों में विषय विशेषज्ञों को अवश्य मनोनीत करें एवं उनके विचारों को आमंत्रित करें
- समिति द्वारा लिए गये निर्णयों एवं अनुसंशाओं पर ग्राम पंचायत की बैठक में अवश्य विचार एवं अमल किया जाता हो।
- पंचायत के तीनों कार्योंः योजना एवं बजट निर्माण, कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं मानिटरिंग (देख–रेख) में विभिन्न समितियों की सक्रीय भागीदारी हो।

याद रखें!

एक सुदृढ़ स्थायी समिति ही विकेन्द्रीकरण एवं सशक्त पंचायत की आधारशिला है।